	पत्रावली शामिल ... दिनांक 17/8/16 को पेश हुई	58
17/8/16	वकील फरीकेन उपस्थित। SDO साहब अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 24/8/16 को पेश हो। ह०	
24/8/16	वकील फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 4 हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। आराजी ख.नं. 951-952-966-967-968 किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नं. 983-984 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम सलेमपुर तह. सपोटरा हमारे बुजुर्ग मंगला के समय की है और पुश्तैनी है, संयुक्त हिन्दू परिवार की एवं शामलाती जमीन है और मुताबिक नजरी दर्ज वादपत्र पैरा नं. 1 प्रार्थीगण इन आराजियात पर बहैसियत शामलाती खातेदार काश्तकार काबिज है। बद्री के एक मात्र लड़का रामकिशन था जो रोकसी रामकिशोर के गोद चला गया और मुस्तकिल रूप से अन्य परिवार के रोकसी में रह रहा है उसने ग्राम सलेमपुर की सकूनियत त्याग दी और इसका इन विवादित आराजियात में किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है ना ही काबिज है। इसलिए गोद जाने के कारण उसको इस खाते में हकदार नहीं बनाया गया है। वादीगण के पिता दुर्गालाल फौत हो चुके हैं, तीनों भाइयों में छोटे हैं, रामस्वरूप सबसे बड़ा है तथा बाबूलाल जीवित है। बाबूलाल और रामस्वरूप ने मिलकर ने मिलकर गलत तरीके से विवादित आराजियात दर्ज वाद पत्र की खातेदारी इन्द्राज जमाबंदी में गैर कानूनी तरीके से हमारे व हमारे पिता दुर्गालाल से छिपाकर करा लिया और पूरी जमीनों को हड़प करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण ने	

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

में ज

हुक्म की तामील में जारी हुए

-7-

(एलानिया कब्जे) की है कि इन्ने पूरी जमीन बलराम के नाम करा ली है और बलराम की खातेदारी हो चुकी है जिसमें खसरा नं. 983-984 को खतम कर दी गई है तुम्हारा (प्रार्थीगण) का इस आराजीयात से कोई ताल्लुकात नही है प्रार्थीगण को हमारे नाम खातेदारी कराने की कहा तो साफ इंकार कर गये और कहा कि तुम्हें जब (न बेदखल करेंगें तथा किसी लेने वाले व्यक्ति को बेच देंगें। इसलिए प्रार्थीगण को जरिये अदालत विपक्षीगण पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण का कथन है कि मिश्रा का पुत्र रामस्वरूप मुल्ला के जीवनकाल में औलाद न होने के कारण सामाजिक रीति रिवाज से मुल्ला के गोद चला गया था। तथा रामस्वरूप दत्तक पुत्र मुल्ला की जायदाद पर काबिज रहा। बड़ी का लड़का रामकिशन, रामकिशोर के गोद नही गया था। एक ही संतान को गोद देने व लेने का प्रावधान कानूनन नही है। रामकिशन ग्राम खेड़ली में अपना जीवन गुजर करता है। रामकिशन ने ग्राम सलेमपुर की सकूनियत नही त्यागी। रामकिशन ने अपने हिस्से की आराजीयात रामस्वरूप दत्तक पुत्र मुल्ला को अपने जीवनकाल में बेच दी थी तभी से रामस्वरूप की जायदाद पर प्रार्थीगण 1,3,4 काबिज खातेदार है। रामकिशन आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है। बाबूलाल और रामस्वरूप ने कोई गलत खातेदारी दुरुस्त नही करवाई कानूनन खातेदारी की गई है। वादीगण ने अपनी खातेदारी की आराजीयात शहजादी पत्नि कालू खां निवासी सलेमपुर को रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर दी है तथा अपना रिहायशी मकान जो ग्राम सलेमपुर का शहजादी को विक्रय कर दिया है और सलेमपुर से अपनी सकूनियत त्यागकर दतौली में आकर मुस्तकिल रूप से

रहने लग गये हैं। इसलिए की आराजीयात बेचने की बात सही है जिसको बेचने का पूर्ण अधिकार था। निर्णकारी करने वाली बात गलत है। वादीगण हिस्सा 1/3 की घोषणा कराने के अधिकारी नही है न ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति नही है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजीयात को शाहजादी को जरिये 125 चुके हैं। विवादित आराजीयात से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है प्रार्थीगण के पक्ष में कोई सुविधा सन्तुलन नही है। प्रार्थीगण कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बयनामा जो कि वादीगण अशोक कुमार बगैरा द्वारा शहजादी पत्नि काले खां निवासी सलेमपुर को बेचान किया गया है, इसलिए वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हुई है। वादीगण (प्रार्थीगण) ने खातेदारान को गोड जाना अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों में बताया गया है लेकिन खातेदारान का गोड जाति से सम्बन्धी कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है। खातेदारान को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीगण अपना विवादित आराजीयात पर कब्जा होना कहकर आये हैं लेकिन कब्जा के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं पेश किया है, इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अशोक कुमार वगैरा बनाम प्रसाद वगैरा स० अस्थायी निषेधाज्ञा अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रार्थना पत्र (पत्रावली) फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर शामिल दफ्तर रहे। [signature] उप जिला कलक्टर सपोटरा, जिला-करौली	